शब्द–ब्रह्म
प्रवेशांक ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2012

राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन: प्रमुख प्रयास, समस्याएं एवं सुझाव

डॉ. जोगिन्द्र कुमार यादव
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
क्षेत्रीय केन्द्र, चण्डीगढ़

शोध संक्षेप

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति और सम्मान की दृष्टि से सर्वथा उचित है क्योंकि वह भारत की 70 प्रतिशत जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम और संस्कृति की संवाहक है। हिन्दी की राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता को आंकते हुए 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात शिक्षा सममेलन के सभापति से कहा था- "किसी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है, जो वहां की अधिकांष जनता बोलती हो। वह सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में माध्यम भाषा बनने की शक्ति रखती हो। वह सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी कामकाज के लिए सुगम तथा सरल हो। जिसे सुगमता और सहजता से सीखा जा सकता हो। जिसे चुनते समय क्षणिक, अस्थाई और तात्कालिक हितों की उपेक्षा की जा सके और जो सम्पूर्ण राष्ट्र की वाणी बनने की क्षमता रखती हो। बहुभाषी भारत में केवल हिन्दी ही एक भाषा है, जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं।" डा वी के आर वी राव ने हिन्दी का पक्ष लेते हुए कहा था- "भाषा किसी भी राष्ट्र की अनिवार्य विषेषता है और अगर भारत को राष्ट्र बनाना है, तो हिन्दी ही उसकी राष्ट्रभाषा हो सकती है।" अंग्रेजी भाषा के विद्वान एवं प्रसिद्ध समाजवादी डा राममनोहर लोहिया का कितना चुनौतीपूर्ण अभिमत है- "जनतंत्र और अंग्रेजी साथ-साथ नहीं चल सकते। जब तक सरकार का काम जनता की भाषा में न चले तब तक कैसे कहा जा सकता है कि हमारे यहां जनतंत्र है और आज हम इन सबकी बातों को भुलाकर एक विदेशी भाषा में जनतंत्र चला रहे हैं।"

मुख्य शब्द :
राजभाषा - सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राष्ट्रभाषा - समस्त राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति - भाषा (हिन्दी) के प्रचार-प्रसार एवं उसे सरकारी कामकाज में प्रयोग करने हेतु गठित समिति।

प्रस्तावना :

सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। सारे राष्ट्र में बोली जाने वाली और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चाहे वे हिन्दी-भाषी क्षेत्र से थे या अहिंदी-भाषी क्षेत्र से, हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमारे संविधान निर्माता हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव नहीं दिला सके। संविधान में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार किया गया है। अतः संवैधानिक दृष्टि से हिंदी केवल संघ सरकार के कार्यालयों की भाषा है। राजभाषा, जनता और सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। अपनी स्थानीय भाषा का राजभाषा होना किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय अस्मिता की बात होती है। अतः इस दृष्टि से हिंदी का राजभाषा बनना भी महत्त्वपूर्ण है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 प्रमुख

भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन्हें हम राष्ट्रीय भाषाएं कह सकते हैं। इनमें से हिंदी भी एक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन संविधान लागू होते ही अंग्रेजी को इस पद से हटाना और उसके स्थान पर हिंदी में कार्य आरंभ करना इतना आसान काम नहीं था। उस समय तक हिंदी का स्वरूप महज एक क्षेत्रीय भाषा का था और लोक प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अंग्रेजी का बोलबाला था। कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान नहीं था। सारे कोड, मैनुअल, टाइपराइटर इत्यादि अंग्रेजी में थे। प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावलियों को हिंदी में तैयार किए जाने की आवश्यकता थी। अतः संविधान में यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी। परन्तु बाद में राजभाषा अधिनियम पारित करके इस अवधि को अनिश्चितकल के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान में कुछ अवधि के लिए अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखने का मूल उद्देश्य यह था कि इस अवधि के दौरान हिन्दी में कार्य करने की मूल ढांचागत सुविधाएं जैसे टाइपराइटर, कोड, मैनुअल, प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी में उपलब्ध करवाई जाएं और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाया जाए जिससे कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने का एक वातावरण तैयार हो सके भले ही हिन्दी संविधान में निर्धारित 15 वर्षों के भीतर पूर्णरूपेण राजभाषा नहीं बन पाई परन्तु केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास अवश्य किए गए हैं।

राजभाषा हिन्दी में कामकाज करने की दृष्टि से भारतीय संघ के राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 'क' क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में- हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश , राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छतीसगढ़ तथा अंडमान निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र) शामिल हैं। 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ आते हैं। 'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत वे राज्य एवं संघशासित प्रदेश आते हैं जो उपरोक्त 'क' और 'ख' क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं। इन तीनों श्रेणियों में भाषा के स्तर पर कार्य और व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का स्पष्ट प्रावधान किया गया है-

1. केन्द्र सरकार के कार्यालय से 'क' श्रेणी में स्थित राज्य सरकार के या उस राज्य को या ऐसे राज्य में स्थित केन्द्र सरकार से भिन्न अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही भेजे जाएंगे। किन्तु असाधारण मामलों में यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
2. केन्द्र सरकार के कार्यालय से 'ख' श्रेणी में स्थित राज्य सरकार को या उस राज्य में स्थित केन्द्र सरकार से भिन्न कार्यालय को सामान्य रूप से पत्र हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
3. केन्द्र सरकार के कार्यालय में 'ग' श्रेणी में स्थित राज्य सरकार को या उस राज्य में स्थित केन्द्र सरकार से भिन्न किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र हिन्दी में या अंग्रेजी में भेजे जा

सकते हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में तीन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है। शोध पत्र के प्रथम चरण में सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों को दर्शाया गया है। दूसरा चरण इस दिशा में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाता है जबकि तीसरे चरण में राजभाषा कार्यान्वयन में कुछ सुधार एवं सुझाव उल्लिखित हैं। उक्त शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि को अपना कर सामग्री एकत्रित की गई है।

राजभाषा कार्यान्वयन: प्रमुख प्रयास: संविधान की धारा 351 में कहा गया है कि "भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।" ..."संविधान के संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।" संविधान के इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति ने हिन्दी कामकाज से सम्बन्धित विस्तृत आदेश जारी किए और उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम बना तथा 1967 मं उसका संशोधन भी हुआ। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए लगातार आदेश जारी होते रहे। गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग बन जाने के पष्चात् 1976 में राजभाषा नियम बने और सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी को लागू करने के लिए उत्पन्न हुई भावना के अनुकूल सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग होने लगा। इसी के दृष्टिगत राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों में निम्नवत् प्रमुख हैं :

1. केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यालयों की स्थापना तथा राजभाषा विभाग का गठन।
2. राजभाषा विभाग का संगठनात्मक ढांचा और राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का आवंटन। इसके अतिरिक्त केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी शामिल है।
3. त्रैमासिक अनुवाद प्रषिक्षण पाठ्यक्रम, अल्पावधि अनुवाद पाठ्यक्रम तथा उच्चस्तरीय/पुनष्चर्या अनुवाद प्रषिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन।
4. केंद्रीय हिन्दी प्रषिक्षण संस्थान की स्थापना तथा हिन्दी षिक्षण योजना का आरम्भ।
5. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन तथा केंद्रीय हिन्दी समिति/हिन्दी सलाहकार समिति/केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन।
6. विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं जिनमें, इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना, हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना, विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विज्ञान और तकनीक में मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए

पुरस्कार योजना, अंग्रेजी टाइपिस्टों, आषुलिपिकों को हिन्दी में टाइप और आषुलिपि कार्य के लिए प्रोत्साहन भत्ता योजना, अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार योजना, हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन योजना, हिन्दी टाइप और आशुलिपि सीखने के लिए प्रोत्साहन योजना तथा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना आदि शामिल हैं।

7. अनुवाद की व्यवस्था, शब्दावली आयोग की स्थापना और हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन।

8. मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी कार्मिकों को समान वेतनमान देना।

9. निरीक्षण व्यवस्था जिसमें- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण, राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, विभागों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा उप निदेशक (रा0भा0)/सहायक निदेषक (रा0भा0) द्वारा निरीक्षण आदि शामिल हैं।

10. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण तथा देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं।

राजभाषा कार्यान्वयनः समस्याएं : संविधान के अनुसार हिन्दी भारत सरकार की राजभाषा है। अतः भारत सरकार का सारा सरकारी कार्य हिन्दी में होना चाहिए। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और समय-समय पर विभिन्न आदेष जारी किए जाते हैं, लेकिन इन आदेशों के बावजूद कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षा के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं। कुछ कारण प्रषासकों की मानसिकता से संबंधित हैं तो कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली कुछेक व्यावहारिक समस्याएं निम्नवत् हैंः

1. कार्यालय साहित्य जैसे कोड, मैनुअल, नियम तथा अधिनियम इत्यादि का हिन्दी में उपलब्ध न होना या उनकी भाषा सरल न होनाः राजभाषा अधिनियम की नियमावली के नियम-2 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। यह साहित्य हिन्दी में पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है।

2. राजभाषा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति : जो अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा कार्य में संलिप्त हैं, वे अपने कार्य से कितने संतुष्ट हैं, उनमें कितना आत्मविश्वास है, उनका मनोबल कितना ऊंचा है और कार्य को सुचारू और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए उन्हें कितनी सुविधाएं दी गई हैं। राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में यह स्थिति आरंभ से ही निराशाजनक रही है।

3. न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होने से राजभाषा के प्रयोग में कठिनाइयां : संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। लेकिन राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी

भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

4. हिन्दी के उपकरणों जैसे टाइपराइटर/कंप्यूटर की उपलब्धता एवं कंप्यूटरीकरण का प्रभाव : आमतौर पर कार्यालयों से हर प्रकार का पत्राचार टाइप करके ही किया जाता है। टाइपराइटर और कंप्यूटर कार्यालय के कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। कार्यालयों में यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी अपना सारा कार्य हिन्दी में करने का इच्छुक भी हो लेकिन यदि उसके कार्यालय में देवनागरी की सुविधा वाले कंप्यूटर या टाइपराइटर नहीं हैं तो वह चाहते हुए भी हिन्दी में कार्य नहीं कर सकता है।

5. कार्यालय में हिन्दी के लिए कंप्यूटरों का प्रयोगः भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि कार्यालयों के सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम करने की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी में काम करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

6. कंप्यूटरीकरण से हिन्दी के प्रयोग में आ रही बाधाएंः निःसंदेह आज हिन्दी में शब्द संसाधन और डाटा संसाधन के लिए कंप्यूटर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन कंप्यूटर साॅफ्टवेयर निर्माण के क्षेत्र में अधिकांष इंजीनियर भारतीय होने के बावजूद आज भी कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग की भाषा अंग्रेजी ही है। जब तक प्रोग्रामिंग की भाषा हिन्दी नहीं बनती तब तक कोई भी प्रोग्रामिंग हिन्दी में नहीं हो सकती है और इसके अभाव में कंप्यूटर पर किसी भी विभाग का सारा कार्य हिन्दी में करना असंभव है। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों के कार्यों की मूल प्रोग्रामिंग हिन्दी में करने के लिए सरकारी स्तर पर शीघ्र प्रयास आरंभ किए जाएं।

राजभाषा कार्यान्वयनः सुझाव : संविधान के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए है। राजभाषा अधिनियम एवं नियम बनाए गए हैं, समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र राजभाषा विभाग भी स्थापित किया गया है। संसद की एक स्थाई राजभाषा समिति भी गठित की गई है। हिन्दी, हिन्दी टाईप तथा अनुवाद इत्यादि के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कार्यालयों, मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी अनुवादक और अधिकारी तैनात किए गए हैं। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक हिन्दी कार्यालयों में लागू नहीं हो पाई हैै। कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग अब भी केवल आंकड़ों के लिए ही होता है। खुली अर्थव्यवस्था के कारण हिन्दी आज बाजार की भाषा बन गई है। बाजार की भाषा होने के कारण निजी क्षत्रों में हिन्दी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, परन्तु सरकारी क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति वही है। इसका मुख्य कारण अधिकारियों की मानसिकता है। सरकारी तंत्र में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले को आज भी बुद्धिमान समझा जाता है। जो अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी माध्यम से पास करके सरकारी सेवा में आते हैं वे भी अपने सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग करने में

गौरव महसूस करते हैं और कार्यालयों में वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें हिन्दी आती ही नहीं है। जब अधिकारी स्वयं ही हिन्दी में कार्य नहीं करेंगे तो वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं कर सकेंगे। हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी परोक्ष तौर पर हतोत्साहित की किया जाता है, उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं जिनके कारण जो कर्मचारी या अधिकारी हिन्दी में कार्य करना या करवाना चाहते हैं वे उसे हिन्दी में नहीं करवा पाते हैं।

हिन्दी को पूरी तरह से राजभाषा बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नवत् हैं :

1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा शब्द-निर्माण प्रक्रिया में बदलाव।
2. राजनेताओं द्वारा हिन्दी का अधिक प्रयोग करना।
3. दण्ड का प्रावधान। नियमों में यह प्रावधान अवष्य किया जाना चाहिए कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों में कार्यरत हिन्दी भाषी कर्मचारी अपना समस्त कार्य हिन्दी में ही करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ वैसी ही अनुषासनात्मक कार्यवाई की जाए जिस प्राकर सरकार के अन्य आदेषों को न मानने पर की जाती है।
4. न्यायालायों मे हिन्दी का प्रयोग तथा कानून की पढ़ाइ हिन्दी माध्यम से हो।
5. देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर की पढ़ाई में हिन्दी शिक्षा का माध्यम हो अथवा एक अनिवार्य विषय हो।
6. विश्वविद्यालय स्तर के हिन्दी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की आवश्यकता।
7. राजभाषा के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभागों में तालमेल।
8. चिकित्सा, तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी के मूल लेखन को प्रोत्साहित करना।
9. विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की उच्चस्तरीय षिक्षा में हिन्दी को बढ़ावा देना।
10. हिन्दी में सहायक साहित्य पर्याप्त रूप से उपलबध करवाया जाए।
11. पुस्तकालयों के लिए हिन्दी की अधिक पुस्तकें खरीदना।
12. प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी कार्याशालाओं का आयोजन आवश्यक किया जाए।
13. भर्ती के लिए [प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी के ज्ञान की परीक्षा हो और साक्षात्कार हिन्दी में हों।
14. कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिन्दी टाइप का अनिवार्य ज्ञान हो।
15. हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
16. कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने की सुविधा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।
17. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में ही कार्य करना तथा हिन्दी फार्मों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
18. सभी सरकारी विज्ञापन हिन्दी में ही प्रकाशित करवाए जाएं।
19. मंत्रालयों द्वारा मूल पत्राचार हिन्दी में करना।
20. हिन्दी मोहरों का प्रयोग।
21. संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसाओं का पूर्णतया पालन हो।

22. राजभाषा कार्यान्वयन की स्वस्थ मानिटरिंग।

23. राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नियमित बैठकें हों और उनमें सार्थक चर्चा हो।

यदि उपर्युक्त सुझावों के अनुसार सरकार द्वारा कार्यवाही की जाए तो निश्चित रूप से हिन्दी को बिना किसी कठिनाई के राजभाषा के आधिकारिक पद पर आसीन किया जा सकता है। ये सुझाव ऐसे हैं जिनके लिए नियमों और कानूनों में कोई बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी, केवल प्रशासनिक निर्णयों की आवश्यकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इनका काई विरोध होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक दल के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

निष्कर्ष :

राजभाषा कार्यान्वयन में कुछेक समस्याओं के दृष्टिगत उक्त शोध पत्र से जो निष्कर्ष सामने आया है, उसमें दो स्तरों पर नीति बनाना एवं अनिवार्य रूप से उसका पालन करना अति आवश्यक है। प्रथम, हिन्दी भाषा को स्कूल स्तर से लेकर कालेज, युनिवर्सिटी स्तर तक सभी प्रकार की शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हिन्दी भाषा का पाठ्यक्रम विषय विषेषज्ञ समितियों से तैयार करवाकर अनुमोदित किया जाए तथा सभी राज्यों की सरकारों द्वारा 'अनिवार्य हिन्दी शिक्षा' नाम से एक अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों की भागीदारी से जिलाधीश की अध्यक्षता में 'हिन्दी भाषा कार्यान्वयन समिति' का गठन किया जाना चाहिए। उक्त समिति सम्बन्धित जिलों में चल रहे सभी नियमित एवं निजी शिक्षण संसथानों में हिन्दी भाषा षिक्षण की अनिवार्य शर्त को लागू करवाने की जिम्मेदारी सम्भाले। द्वितीय, प्रदेष भर के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए और समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बोर्डों तथा बैंकों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं, उन्हें और अधिक सशक्त रूप से सभी विभागों की प्रगति रिर्पोटों के मूल्यांकन के अधिकार दिए जाने चाहिए।

यदि प्रत्येक राज्य सरकार उपर्युक्त दोनों स्तरों पर हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन में प्रयास करे तो निश्चित रूप से संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा हिन्दी को सम्मानपूर्वक राष्ट्र की भाषा होने का गौरव हासिल हो सकता है जो हम सब के लिए न केवल गौरव की बात होगी बल्कि भारतीय होने के नाते आत्मसम्मान की सुखद अनुभूति भी होगी।

संदर्भ

1. तिवारी भोलानाथ, राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993
2. मुरारी प्रसाद, वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी की सार्थकता, राजभाषा भारती, अंकः 126, वर्षः जुलाई-सितम्बर, 2009
3. राजभाषा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04, नई दिल्लीः राजभाषा विभाग, भारत सरकार।
4. राजभाषा विभाग, वार्षिक कार्यक्रम-2008-2009, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, भारत सरकार।
5. राजभाषा संसदीय समितिः प्रतिवेदनों के पांच

खण्डों पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन-2001, नई दिल्ली, सचिव, संसदीय राजभाषा समिति।
6. राजभाषा भारतीः अंक 98, जुलाई-सितम्बर, 2003, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. सिन्हा अमरीष, नए प्रयोग जरूरी हैं सरकारी कार्यालयों के हिंदी विभाग में ताज़गी के लिए, राजभाषा भारती, अंकः 126, वर्षः जुलाई-सितम्बर, 2009
8. सिंह शषि कुमार, राजभाषा का सफल कार्यान्वयनः समस्याएं एवं संभावनाएं, राजभाषा भारती, अंकः 129, वर्षः अप्रैल-जून, 2010
9. शर्मा सुरेन्द्र, राजभाषा हिन्दी कल, आज और कल, आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा, प्रथम संस्करण, 2008
10. शर्मा, एन0एस0, विदेषी माटी में पल्लवित और पुष्पित हिंदी, राजभाषा भारती, अंकः 126, वर्षः जुलाई-सितम्बर, 2009